आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा

सेवा अपीलवाद संख्या :–281 / 2013

कुमार राजा

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

17.4.15 यह सेवा अपीलवाद कुमार राजा बर्खास्त राजस्व कर्मचारी, छपरा सदर अंचल ने समाहर्त्ता सारण के आदेश ज्ञापांक 286 / स्था0 दिनांक 18.02.2014 से असंतुष्ट होकर दायर किया है जिस आदेश द्वारा समाहर्त्ता–सह–जिला पदाधिकारी, सारण ने इन्हें निगरानी धावा दल द्वारा रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़े जाने के प्रमाणित आरोपों के आलोक में सेवा से बर्खास्त किये जाने का आदेश दिया है ।

अपीलकर्त्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं वाद अभिलेख तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामले में वाद के अपीलकर्त्ता को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक 31.10.2007 को 5000 रूपये घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़कर निरूद्ध किये जाने के आलोक में इन्हें निलंबित करते हुए इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलायी गयी । विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरान्त संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 1001 दिनांक 26.12.2013 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी–सह–अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इन्हें अपने आदेश ज्ञापांक 286 / स्था0 दिनांक 18.02.2015 के द्वारा सेवा से बर्खास्त किये जाने के पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर है । यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता ने अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों को दुर्भावना से प्रेरित तथा गलत बताया है तथा उनका यह भी कहना है कि उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के निष्कर्ष पूर्व निर्धारित तथा संभावनाओं के आधार पर प्रतिवेदित है तथा इसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त तथा उनके पक्ष के बिन्दुओं को संज्ञान में नहीं लिया गया है । साथ ही अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार प्रस्तुत मामले में प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष न तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और नहीं उन्हें उनके प्रति परीक्षण का अवसर दिया गया जिससे संचालित विभागीय कार्यवाही त्रुटिपूर्ण हो जाती है एवं साथ ही अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायनिर्णयों की प्रतियों के साथ अपने विरूद्ध पारित दंडादेश को अत्याधिक बताते हुए उसे निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है । यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध परिवादकर्त्ता द्वारा अपने जमाबन्दी के कार्य के एवज में घूस लेने का आरोप लगाया है तथा अपीलकर्त्ता ने अपने स्पष्टीकरण में इस आरोप के संबंध में कहा गया है कि परिवादी द्वारा

अंचल कार्यालय में जमाबन्दी का कोई आवेदन नहीं दिया है । उक्त स्थिति में यदि अंचल कार्यालय में परिवादी के नाम पूर्व से कोई जमाबन्दी कायम नहीं थी तो अपीलकर्त्ता द्वारा अपने पक्ष में कहे गये इस दावे कि राशि उनके पास से निगरानी धावा दल द्वारा बरामद की गयी वह राशि उन्होंने परिवादकर्त्ता से उन्होंने उनके पक्ष में निर्गत किये गये रसीद की बकाया राशि के रूप में प्राप्त किया था उचित प्रतीत नही होता है साथ ही यदि परिवादकर्त्ता की कोई जमाबन्दी अंचल कार्यालय में पूर्व से कायम थी तो अपीलकर्त्ता का यह दावा गलत हो जाता है कि परिवादकर्त्ता का कोई आवेदन अंचल कार्यालय में लंबित नही था । साथ ही यदि परिवादकर्त्ता के नाम पूर्व से कोई जमाबन्दी कायम नहीं थी तो उक्त स्थिति में अंचलाधिकारी के आदेश के बगैर राजस्व कर्मचारी द्वारा रसीद काटने का दावा सही नहीं हो सकता है ।

यह भी स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामले में अपीलकर्त्ता निगरानी धावा दल द्वारा 5000 रूपये के साथ दिनांक 31.10.2007 को गिरफ्तार किये गये है तथा अपनी गिरफ्तारी के वक्त अपीलकर्त्ता उस हलका के प्रभार में थे जहां परिवादकर्त्ता का कार्य लंबित था । अपीलकर्त्ता के निगरानी धावा दल द्वारा 5000 रूपये के साथ गिरफ्तार किया जाना ही अपने आप में सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 17(5)(1) के प्रतिकूल है । अब यह पैसा घूस का था अथवा नहीं इसके लिए निगरानी विशेष न्यायालय ट्रायल लंबित है एवं यदि अपीलकर्त्ता द्वारा यह राशि घूस/रिश्वत के रूप में नहीं भी ली गयी थी तो भी जो राशि उनके पास से बरामद हुई उस संबंध में अपीलकर्त्ता का दावा सही नहीं है क्योंकि किसी भी सरकारी कार्य में यदि किसी व्यक्ति से कोई राशि ली जाती है तो वह राशि प्राप्ति रसीद के साथ प्राप्त की जाती है तथा इस दौरान पूरी राशि एकमुश्त ली जाती है एवं यदि कोई अंश राशि प्राप्त की जाती है तो उसका भी तत्तसमय ही प्राप्ति रसीद हस्तगत करा दी जाती है । साथ ही जैसा की अपीलकर्त्ता का दावा है कि उन्होंने परिवादी से कुछ राशि पूर्व में प्राप्त कर रखी थी तथा शेष राशि प्राप्त कर वे परिवादकर्त्ता को रसीद हस्तगत कराने वाले थे वह भी दावा सहीं नहीं है क्योंकि राजस्व लगान की राशि भी किसी राजस्व कर्मचारी को संबंधित व्यक्ति से प्राप्त की गयी राशि के आलोक में ही निर्गत किया जाता है जिसमें भी बिना रसीद के नगद राशि प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है । फिर भी यदि एक पल के लिए अपीलकर्त्ता के इस दावे को मान भी लिया जाये तो भी उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि लगान हेतु इतनी बड़ी राशि किस प्रकार वसूलनीय थी । स्पष्ट है कि उक्त राशि लगान हेतु नहीं बल्कि किसी अन्य प्रयोजन हेतु थी और यदि उसे घूस नहीं भी माना जाये तो भी उनका यह कृत्य सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल हो जाता है क्योंकि उनके द्वारा ऐसे किसी अन्य प्रयोजन हेतु राशि लेने के संबंध में विहित प्राधिकार को न तो कोई पूर्व सूचना दी गयी थी और नहीं इस संबंध में

प्राधिकार से ऐसा कोई निदेश प्राप्त किया गया था जो सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 17(6) का उल्लंघन है ।

उपर्युक्त स्थिति में यह प्रमाणित है कि अपीलकर्त्ता स्पष्ट रूप से सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(i)(i) (ii)(iii) एवं 17(5)(i) एवं 17(6) के उल्लंघन के दोषी है एवं आनुशासनिक प्राधिकार ने इनके विरूद्ध विधिवत विभागीय कार्यवाही चलाते हुए तथा इन्हें अपना पक्ष रखने का मौका देते हुए दंडादेश पारित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय के आदेश को संपुष्ट करते हुए प्रस्तुत अपील वाद खारिज किया जाता है ।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त 17.4.15

आयुक्त 17.4.15